

दफ्तारात १४ सप्तमी १९६१

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म

16-5-17

पत्तापत्ती पेश हुई। कृपिते रिपोर्ट को अवलोकित किया गया। कपील इन् रजिस्टर की ओर। कपील के माध्यम से संपादक प्रोपर्टी पर कठिनायक कपीलान्तरी एक पक्षीय एक मुनीगर्भ। पत्तापत्ती को अवलोकित किया गया। अतः संपादक प्रोपर्टी-पत्त पर एक पक्षीय एक मुनीगर्भ के उपान्त को देखा दिनांक ५-५-१७ के खिलाफ है चूंकि कपीलान्तरी के द्वारा एक बरवरेनामा प्रस्तुत किया गया है तथा तहत कदालत द्वारा उस बरवरेनामे को कम्प्लेक्स रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने, उजात मुने व तदाउत्तर कृपिते तैयार कले का विकेडन किया है। अतः पत्तापत्ती इन् विदेश के माध्यम से संपादक प्रोपर्टी अधिकारी नीमगाव को उपेक्षित की जाती है कि कानिठ विधि से पूर्ण बरवरेनामे के बारे में सबबिधत पक्षों को उपेक्षित कर, हाइप, सल्लत के पश्चात् ही कानिठ विधि परित करे। अतः प्रार्थी उ माह में सबबिधत पक्षकारों को शामिल कपील करे व बाद विनिर्णय करे। इन् आवेद के पश्चात् संपादक स्वतः निरस्त कर्तव्य।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर